

—पिचासी—

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
संख्या सं0वि0क0नि0-5-462/11-2006-500(92)-2005
लखनऊ, दिनांक 23 फरवरी, 2006

अधिसूचना
आदेश

प0आ0-64

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897, (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नीचे अनुसूची के क्रम संख्या (ग) से (ज) पर उल्लिखित कतिपय लिखतों पर वैयक्तिक या पृथक रूप से एक या उससे अधिक स्त्रियों के पक्ष में दस लाख रुपये मूल्य की स्थावर सम्पत्ति के अन्तर्गत के सम्बन्ध में देय स्टाम्प शुल्क में कमी करते हैं और सरकारी अधिसूचना संख्या क0सं0वि0 7-3706/11-98-500(20)/98, दिनांक 31 अगस्त, 1998 में संशोधन करते हैं,—

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में,—

(क) अनुसूची में क्रम संख्या (ख) पर लिखत के पश्चात् निम्नलिखित स्थिति स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

लिखत सीमा	अनुसूची धनराशि	कमी की
1	2	3
(ग), अनुच्छेद 5, अनुबन्ध पत्र या अनुबन्ध पत्र का ज्ञापन	जहां ऐसे हस्तान्तरण के प्रतिफल की उसमें उल्लिखित रकम या मूल्य या उस सम्पत्ति का, जो ऐसे हस्तान्तरण की विषयवस्तु है, बाजार मूल्य इनमें से जो भी अधिक हो, 50/- रुपये से अधिक न हो। जहां यह 50/- रुपये से अधिक किन्तु 100/- से अधिक न हो जहां यह 100/- रुपये से अधिक किन्तु 200/- से अधिक न हो जहां यह 200/- रुपये से अधिक किन्तु 300/- से अधिक न हो जहां यह 300/- रुपये से अधिक किन्तु 400/- से अधिक न हो जहां यह 400/- रुपये से अधिक किन्तु 500/- से अधिक न हो जहां यह 500/- रुपये से अधिक किन्तु 600/- से अधिक न हो जहां यह 600/- रुपये से अधिक किन्तु 700/- से अधिक न हो	छ: रुपये पच्चीस पैसे से तीन रुपये बारह रुपये पचास पैसे से छ: रुपये पच्चीस रुपये से बारह रुपये सैंतीस रुपये पचास पैसे से अठारह रुपये पचास रुपये से चौबीस रुपये बासठ रुपये पचास पैसे से तीस रुपये पचहत्तर रुपये से छत्तीस रुपये सतासी रुपये पचास पैसे से बयालीस रुपये
	जहां यह 700/- रुपये से अधिक किन्तु 800/- से अधिक न हो	एक सौ रुपये से अड़तालीस रुपये

जहां यह 400/- रुपये से अधिक किन्तु 500/- से अधिक न हो	बासठ रुपये पचास पैसे से तीस रुपये
जहां यह 500/- रुपये से अधिक किन्तु 600/- से अधिक न हो	पचहत्तर रुपये से छत्तीस रुपये
जहां यह 600/- रुपये से अधिक किन्तु 700/- से अधिक न हो	सतासी रुपये पचास पैसे से बयालीस रुपये
जहां यह 700/- रुपये से अधिक किन्तु 800/- से अधिक न हो	एक सौ रुपये से अड़तालीस रुपये
जहां यह 800/- रुपये से अधिक किन्तु 900/- से अधिक न हो	एक सौ बारह रुपये पचास पैसे से चौवन रुपये
जहां यह 900/- रुपये से अधिक किन्तु 1000/- से अधिक न हो	एक सौ पच्चीस रुपये से साठ रुपये
और 1000/- रुपये से अधिक प्रत्येक 1000/- रुपये या उसके भाग	

के लिए

एक सौ पच्चीस रुपये से साठ रुपये

(ख) अन्त में आये हुए परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाएगा, अर्थात्,—
परन्तु यह कि यदि क्रम संख्या (ग) से (ज) पर उल्लिखित लिखतों के सम्बन्ध में किसी स्त्री के पक्ष में अन्तरण विलेख का मूल्य दस लाख रुपये से अधिक निर्धारित किया जाता है तो उस पर स्टाम्प शुल्क की गणना दस लाख रुपये के मूल्य के स्तम्भ-3 में प्रत्येक लिखत के सामने उल्लिखित दर पर की जाएगी और दस लाख रुपये से अधिक पर स्टाम्प शुल्क की गणना अस्सी रुपये प्रति हजार की दर से की जाएगी एक स्त्री या उससे अधिक स्त्रियों और एक पुरुष या उससे अधिक पुरुषों के पक्ष में निष्पादित अन्तरण विलेख में यदि स्त्री/स्त्रियों का अंश विनिर्दिष्ट हो तो अपर स्तम्भ-1 में उल्लिखित ऐसी लिखत पर देय स्टाम्प शुल्क में स्तम्भ-3 में स्त्री/स्त्रियों के यथा उल्लिखित अंश की सीमा तक कमी कर दी जाएगी किन्तु यदि स्त्री/स्त्रियों का ऐसा अंश लिखत में विनिर्दिष्ट नहीं है तो लिखत पर स्टाम्प शुल्क इस प्रकार देय होगा मानो ऐसी लिखत पर स्टाम्प शुल्क में कोई कमी स्वीकृत न की गयी हो।

आज्ञा से,
H0अस्पष्ट
शेखर अग्रवाल,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government-notification
The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government-notification no. S.V.K.N. 5462/XI-2006-500(92)-2005 dated February 23, 2006 for general information.

No. S.V.K.N.5-462/XI-2006-500(92)-2005

Lucknow, Dated February 23, 2006

Notification

Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to reduce with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty in respect of transfer of immovable property for a value of rupees ten

(f) Article 31, Exchange of property,	Where the amount or value of the consideration of such conveyance as set forth therein or the market value of the property, which is the subject matter of such conveyance, whichever is greater, does not exceed Rs. 50/- where it exceeds Rs. 50/- but does not exceed Rs. 100/- where it exceeds Rs. 100/- but does not exceed Rs. 200/- where it exceeds Rs. 200/- but does not exceed Rs. 300/- where it exceeds Rs. 300/- but does not exceed Rs. 400/- where it exceeds Rs. 400/- but does not exceed Rs. 500/- where it exceeds Rs. 500/- but does not exceed Rs. 600/- where it exceeds Rs. 600/- but does not exceed Rs. 700/- where it exceeds Rs. 700/- but does not exceed Rs. 800/- where it exceeds Rs. 800/- but does not exceed Rs. 900/- where it exceeds Rs. 900/- but does not exceed Rs. 1000/- and for every Rs. 1000/- or part there of in excess of Rs. 1000/-	from Rs. 6.25 to Rs. 3 from Rs. 12.50 to Rs. 6 from Rs. 25 to Rs. 12 from Rs. 37.50 to Rs. 18 from Rs. 50 to Rs. 24 from Rs. 62.50 to Rs. 30 from Rs. 75 to Rs. 36 from Rs. 87.50 to Rs. 42 from Rs. 100 to Rs. 48 from Rs. 112.50 to Rs. 54 from Rs. 125 to Rs. 60 from Rs. 125 to Rs. 60 from Rs. 6.25 to Rs. 3
(g) Article 33, Gift,	Where the amount or value of the consideration of such conveyance as set forth therein or the market value of the property, which is the subject matter of such conveyance, whichever is greater, does not exceed Rs. 50/- where it exceeds Rs. 50/- but does not exceed Rs. 100/- where it exceeds Rs. 100/- but does not exceed Rs. 200/- where it exceeds Rs. 200/- but does not exceed Rs. 300/- where it exceeds Rs. 300/- but does not exceed Rs. 400/- where it exceeds Rs. 400/- but does not exceed Rs. 500/- where it exceeds Rs. 500/- but does not exceed Rs. 600/- where it exceeds Rs. 600/- but does not exceed Rs. 700/- where it exceeds Rs. 700/- but does not exceed Rs. 800/- where it exceeds Rs. 800/- but does not exceed Rs. 900/- where it exceeds Rs. 900/- but does not exceed Rs. 1000/- and for every Rs. 1000/- or part there of in excess of Rs. 1000/-	from Rs. 12.50 to Rs. 6 from Rs. 25 to Rs. 12 from Rs. 37.50 to Rs. 18 from Rs. 50 to Rs. 24 from Rs. 62.50 to Rs. 30 from Rs. 75 to Rs. 36 from Rs. 87.50 to Rs. 42 from Rs. 100 to Rs. 48 from Rs. 112.50 to Rs. 54 from Rs. 125 to Rs. 60 from Rs. 125 to Rs. 60 from Rs. 6.25 to Rs. 3
(h) Article 35, clause (a) (ii) to (vi) (b) (c), Lease	Where the amount or value of the consideration of such conveyance as set forth therein or the market value of the property, which is the subject matter of such conveyance, whichever is greater, does not exceed Rs. 50/- where it exceeds Rs. 50/- but does not exceed Rs. 100/- where it exceeds Rs. 100/- but does not exceed Rs. 200/- where it exceeds Rs. 200/- but does not exceed Rs. 300/- where it exceeds Rs. 300/- but does not exceed Rs. 400/- where it exceeds Rs. 400/- but does not exceed Rs. 500/- where it exceeds Rs. 500/- but does not exceed Rs. 600/- where it exceeds Rs. 600/- but does not exceed Rs. 700/- where it exceeds Rs. 700/- but does not exceed Rs. 800/- where it exceeds Rs. 800/- but does not exceed Rs. 900/- where it exceeds Rs. 900/- but does not exceed Rs. 1000/- and for every Rs. 1000/- or part there of in excess of Rs. 1000/-	from Rs. 12.50 to Rs. 6 from Rs. 25 to Rs. 12 from Rs. 37.50 to Rs. 18 from Rs. 50 to Rs. 24 from Rs. 62.50 to Rs. 30 from Rs. 75 to Rs. 36 from Rs. 87.50 to Rs. 42 from Rs. 100 to Rs. 48 from Rs. 112.50 to Rs. 54 from Rs. 125 to Rs. 60 from Rs. 125 to Rs. 60 from Rs. 6.25 to Rs. 3

(b) for the proviso appearing in the end, the following proviso shall be substituted, namely;-

Provided that if the transfer deed in favour of a woman with respect to the instruments mentioned at serial no. (c) to (h) is valued more than ten lakh rupees, the stamp duty thereon shall be calculated at the rate mentioned against each instrument in column-3 upto a value of ten lakh rupees and the stamp duty on the higher than ten lakh rupees shall be calculated at the rate of eighty rupees per thousand rupees. In the transfer deed executed in favour of one woman or more and one man or more, if the share of the woman/women is specified, then, the stamp duty payable on such instrument mentioned in column-I above shall be reduced to the extent of the share of

the woman/women as mentioned in column 3. But if such share of the woman/women is not specified in the instrument, then, the stamp duty shall be payable on the instrument as if no reduction in stamp duty had been granted on such instrument.

By order,
Sd/- Illegible
SHEKHAR AGARWAL,
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
संख्या सं0वि0नि0-5-1504 / 11-2006-500(92)-2005
लखनऊ दिनांक 06 जुलाई, 2006
अधिसूचना
आदेश

प0आ0-479

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम सं0-2 सन् 1899) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 23 फरवरी, 2006 से अधिसूचना संख्या सं0वि0क0नि0 -5- 462 / 11-2006-500(92)-2005, दिनांक: 23 फरवरी, 2006 द्वारा यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-क0 सं0वि0-5-3706/11-98- 500 (20)-98, दिनांक 31 अगस्त, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

उपयुक्त अधिसूचना में, परन्तुक में शब्द "किन्तु यदि स्त्री/स्त्रियों का ऐसा अंश लिखत में विनिर्दिष्ट नहीं है तो लिखित पर स्पम्प शुल्क इस प्रकार देय होगा मानो ऐसी लिखत पर स्टाम्प शुल्क में कोई कमी स्वीकृत न की गई हो" के स्थान पर शब्द "किन्तु यदि स्त्री/स्त्रियों का ऐसा अंश लिखत में विनिर्दिष्ट नहीं है तो स्टाम्प शुल्क अनुसूची के खण्ड (क) और (ख) के अनुसार देय होगा।" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
प्रीतम सिंह,
प्रमुख सचिव।

जीम ळवअमतदवत पे चसमेंमक जव वतकमत जीम चनइसपबंजपवद वी जीम विससवूपदह म्दहसपौ जतंदेसंजपवद वी जीम ळवअमतदउमदज दवजपपिबंजपवद दवणैण्टण्णछ.5.1504ध्ग1.2006.500;92द्ध.2005ए कंजमक श्रनसल 06ए 2006 वित ह्मदमतंस पदवितउंजपवद रू

छवणैण्टण्णछ.5.1504ध्ग1.2006.500;92द्ध.2005
स्नबादवू कंजमक श्रनसल 06ए 2006

पद मगमतबपेम वी जीम चवूमते नदकमत बसंनेम ;द्ध वी नइ.मबजपवद ;1द्ध वी मबजपवद 9 वी जीम प्दकपंदैजंउच ।बजए 1899 ;।बज दवण 2 वी 1899द्ध उमदकमक वितउ जपउम जव जमपउम पद पजे चचसपबंजपवद वी न्जजंत च्चंकमौए तमंक पूजी मबजपवद 21 वी जीम ळमदमतंस बसंनेमे ।बजए 1897 ;।बज दवण 10 वी 1897द्ध ए जीम ळवअमतदवत पे चसमेंमक जव उंमए पूजी म्मिबज तिवउ थ्मइतनंतल 23ए 2006ए जीम विससवूपदह उमदकमउमदज पद ळवअमतदउमदज दवजपपिबंजपवद दवण ज्ञणैण्टण.5.3706ध्ग1.98.500;20द्ध.98 कंजमक ।नहनेज 31ए 1998 उमदकमक इल दवपिपिबंजपवद दवण 51504ध्ग1.2006.500;92द्ध.2005ए कंजमक थ्मइतनंतल 23ए 2006ए

।डम्छकडम्छज

पद जीम वितमेंपक दवजपपिबंजपवदए पद जीम चतवअपेवए वित जीम वूतकेए ष्टनज पिनबीीतम वी जीम वूउंद ६ वूउमद पे दवेचमबपपिमक पद जीम पदेजतनउमदजए जीमद जीम जंउच कनजलीसस इम चंलंइसम वद जीम पदेजतनउमदज पदिद तमकनबजपवद पद जंउच कनजलीक इममद हतंदजमक वद नेबी पदेजतनउमदजण जीम वूतकेए ष्टनज पिनबीीतम वी जीम वूउंदधूवउमद पे दवजेचमबपपिमक पद जीम पदेजतनउमदजए जीमद जीम जंउच कनजलीसस इम चंलंइसम पद बबवतकंदबम पूजी बसंनेमे ;द्ध दक ;इद्ध वी जीम बीमकनसमण षीसस इम नइेजपजनजमकण

ठल वतकमतए
कधप्ससमहपइसम
च्च्।डैष्ठळभए
च्चंतुनीी बीपअण